

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

इस प्रकार के तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में आए हैं कि एक लोकल एरिया से भिन्न लोकल एरिया को नोटिफाइड गुड्स की बिक्री किए जाने की दशा में यदि पूर्ववर्ती लोकल एरिया में प्रवेश कर का भुगतान किया जा चुका है तो ऐसा व्यापारी अनुवर्ती क्रेता व्यापारी को ऐसी वस्तु के प्रवेश कर प्रदत्त होने के साक्ष्य स्वरूप फार्म-डी जारी कर देता है, परन्तु यदि ऐसा क्रेता उसी लोकल एरिया का है जिसका कि विक्रेता है तथा ऐसे क्रेता द्वारा ऐसी प्रवेश कर प्रदत्त वस्तुओं की अग्रेत्तर बिक्री भिन्न लोकल एरिया के व्यापारी को की जाती है तब उसी लोकल एरिया का विक्रेता अपने लोकल एरिया के ऐसे क्रेता को फार्म-डी जारी नहीं करता है जिसके कारण ऐसा क्रेता अपने द्वारा भिन्न लोकल एरिया के लिए विक्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में फार्म-डी जारी नहीं कर पाता है और इस कारण ऐसे अग्रेत्तर क्रेता व्यापारी पर अनावश्यक रूप से प्रवेश कर की देयता का निर्धारण हो रहा है।

उक्त के संबंध में पूर्व में भी परिपत्र संख्या विधि-2(1) प्रवेश कर अधिनियम -194-(2011-12)/ 511 / 1112038 / वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश दिनांक 15 जुलाई, 2011 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि यदि ट्रेडर द्वारा उसी लोकल एरिया के ट्रेडर को प्रवेश कर प्रदत्त गुड्स की बिक्री की जाती है और ऐसे क्रेता द्वारा अग्रेत्तर ऐसे माल की बिक्री भिन्न लोकल एरिया के व्यापारी को की जाती है, तब उसी लोकल एरिया का उक्त क्रेता यदि अपने विक्रेता से फार्म-डी प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर क्रेता व्यापारी को अपना फार्म-डी जारी कर देता है तब ऐसे अग्रेत्तर क्रेता व्यापारी का प्रवेश कर का कोई दायित्व नहीं होगा। इन निर्देशों के होते हुए भी ऐसे विक्रेता द्वारा उक्त क्रम में क्रेताओं को मात्र इस आधार पर प्रवेश कर प्रदत्त वस्तुओं के संबंध में उनकी मांग पर फार्म-डी जारी नहीं किए जा रहे हैं कि वह उसी लोकल एरिया के हैं, यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि प्रवेश कर प्रदत्त वस्तुओं की बिक्री किसी विक्रेता द्वारा उसी लोकल एरिया के क्रेता को की जाती है तो ऐसे क्रेता द्वारा ऐसी वस्तुओं की भिन्न लोकल एरिया के व्यापारी को बिक्री किए जाने की दशा में, उसी लोकल एरिया का उक्त विक्रेता ऐसे क्रेता को, उसके द्वारा उक्त के परिप्रेक्ष्य में की गयी माँग पर फार्म-डी जारी करेगा। इसके

पश्चात ऐसा क्रेता भिन्न लोकल एरिया के अग्रेतर क्रेता व्यापारी को संबंधित वस्तुओं के प्रवेश कर प्रदत्त होने के प्रमाण स्वरूप अपना फार्म-डी जारी कर सकेगा ।

उदाहरणार्थ यदि किसी विक्रेता 'क' द्वारा प्रवेश कर प्रदत्त वस्तुओं की बिक्री ऐसे व्यापारी 'ख' को की जाती है जो उसी के लोकल एरिया में है तथा व्यापारी 'ख' ऐसे प्रवेश कर प्रदत्त माल की बिक्री भिन्न लोकल एरिया के व्यापारी 'ग' को करता है तब व्यापारी 'ख' की मांग पर व्यापारी 'क' उसे ऐसी विक्रय की गयी प्रवेश कर प्रदत्त वस्तुओं के संबंध में फार्म-डी जारी करेगा । इसके पश्चात व्यापारी 'ख' अग्रेतर व्यापारी 'ग' को अपना फार्म-डी जारी कर सकेगा और इस प्रकार व्यापारी 'ग' की ऐसे फार्म-डी के प्रस्तुतीकरण पर प्रवेश कर की देयता नहीं होगी ।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

यह पत्र कमिशनर वाणिज्य कर ,उ०प्र० के आदेशानुसार एवं उनसे प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है

(एच० एन० राव)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान , विक्रमादित्य मार्ग , लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसुफा लखनऊ।
- (27) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (37) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (38) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (39) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (40) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (43) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (45) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (48) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।

- (53) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिँघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ० प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन० शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)

(बी०एन० द्विवेदी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ०प्र०